जिला परियोजना कार्यालय, चूरू

(केन्द्र प्रवर्तित माध्यमिक शिक्षा योजना)

(पूर्व उप निदेशकमाध्यमिककार्यालय)डी.बी. होस्पीटलरोड, वार्ड न.12,

राजकीय पारख बालिकामाध्यमिक विद्यालय के पास, चूरू – 331001

टेलिफोननम्बर– 01562–254405 ईमेल–adpcrmsachuru@gmail.com

क –जिपस / रामाशिअ / चूरू / बजट / वि.स्व.अनु. / 2015 / 2228 दिनांक :– 10-12-15

प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक

राउमावि/रामावि

....

विषयः– शौचालय की साफ–सफाई एवं रखरखाव हेतु विद्यालय स्वच्छता अनुदान राशि रू 5000/– प्रति विद्यालय जारी करने के क्रम में

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ मे लेख है ग्रामीण क्षेत्र में संचालित विद्यालयों 424 विद्यालयों को विद्यालय स्वच्छता अनुदान राशि रूपये 5000/–वार्षिक (रू. 500 प्रतिमाह प्रतिविद्यालय 10 महिनों के लिए) जारी की जा रही है जिसके उपयोग के निर्देश निम्नानुसार है :–

1. वर्ष पर्यन्त स्वच्छता से संबंधित निम्न सामग्री क्रय करने व साफ–सफाई के पारिश्रमिक हेतु राशि का उपयोग निम्नानुसार किया जाना है :–

क्र.स.	सामग्री/मद	अधिकतम व्यय की जानेवालीराशि रू.
1	बाल्टी एवं मग	500
2	नेलकटर	100
3	कचरापात्र (कक्षा कक्ष की संख्या के अनुसार)	400
4	आईना	100
5	हाथ धोने के लिए पूरे शैक्षणिक सत्र हेतु साबुन का क्रय	1000
6	शौचालयों को साफ करने हेतु आवश्यक सामग्री(ब्रुश, झाडू, हल्का तेजाब आदि)	500
7	वर्षपर्यन्त शौचायल की नियमित साफ–सफाई हेतु पारिश्रमिक	2000
8	वर्ष पर्यन्त पानी की टंकी के नियमित साफ–सफाई हेतु पारिश्रमिक	400
	योग	**5000**

2. उक्त निर्दिष्ट बजट मद के अनुसार ही अनुदान की राशि का व्यय किया जाना है। इसमें से किसी भी मद में 10 प्रतिशत व्यय कम या अधिक विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर किया जा सकता है किन्तु वार्षिक व्यय की अधिकतम सीमा राशि रू. 5000/– ही रहेगी।

3. वर्ष पर्यन्त काम आने वाली स्वच्छता सामग्री का क्रय एक साथ विद्यार्थियों के नामांकन के आधार पर किया जानाहै।

5. शौचालय की साफसफाई हेतु किसी भी कार्मिक को कार्यआधारित भुगतान किया जाना है।

6. दैनिक साफ–सफाई की व्यवस्था का दायित्व विद्यालय के एक अध्यापक/अध्यापिका एवं बालसंसद के सदस्यों (रोटेशन आधारित)को दियाजाए।

7. प्रधानाध्यापक द्वारा भी विद्यालय में उपलब्ध स्वच्छता सुविधाओं एवं सफाई का आवश्यक रूप से निरीक्षण किया जावे, जिससे उनकी स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय समय में शौचालय पर ताला न लगा हो।

8. विद्यालय के शौचलयों/मूत्रालयों में नियमित पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए जिससे बच्चे व

Scanned by CamScanner

शौचालय/मूत्रालय, पेयजल सुविधा एवं कक्षा कक्षों की स्वच्छता का आवश्यक रूप से अवलोकन किया जाकर विद्यालय अवलोकन प्रपत्र में टिप्पणी अंकित की जानीचाहिये।

10. सामग्री क्रय कर रोकड़ बही स्टोक रजिस्टर, बिल वाउचर को सुव्यवस्थित संधारित करें।

11. विद्यालय में स्थित पानी की टंकियों की मासिक साफ-सफाई सुनिश्चित की जावें व टंकी पर अन्तिम सफाई की तिथिअंकितकीजावें।

12. विद्यालय स्वच्छता अनुदान की राशि का विवरण विद्यालय की समस्त कैशबुक में नियमित इन्द्राज किया जावें।

13. वित्तीय वर्ष समाप्ति पर संस्था प्रधान संलग्न प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण- पत्र इस कार्यालय भेजना सुनिश्चितकरें एवं उक्तराशि का उपयोग केवल शौचालय/मूत्रालय एवं पेयजल सुविधाऐं नियमित रख -रखाव में करें अन्य मद किसी भी प्रकार का व्यय नहीं किया जावें।

नोट :- यू.सी. निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से 28.02.2015 को भेजें।

विद्यालय स्वच्छताअनुदान-उपयोगिताप्रमाण- पत्र प्रारूप प्रतिवर्ष

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र .... में .... (विद्यालय कानाम) को प्राप्त विद्यालय स्वच्छता अनुदान राशि रू. .... दिनांक .... का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया जिनके लिए उन्हें स्वीकृत किया था। शेष राशि(यदि कोई हो) रू. .... इस मद में अधिशेष है।विद्यालय के समस्त शौचालय एवं पेयजल सुविधा व कार्यशील है। विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छता सुविधाओं का नियमित उपयोग किया जाता है एवं साबुन से हाथ धोये जाते है।

हस्ताक्षरसंस्थाप्रधान

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
रमासिअ, चूरू

क्रमांक :-जिपस/रमासिअ/चूरू/बजट /वि.स्व.अनु./2015/ दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान आयुक्त रमासिप, जयपुर।
2. श्रीमान उप निदेशक रमासिप, जयपुर।
3. श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, चूरू।
4. कार्यालय प्रति।

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
रमासिअ, चूरू

Scanned by CamScanner